रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082023-248380
CG-DL-E-28082023-248380

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त, 28, 2023/भाद्र 6, 1945
No. 490] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST, 28, 2023/BHADRA 6, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 630(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 132 की उपधारा (2) और उपधारा (9घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12च के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'13. धारा 132 की उपधारा (2) के अधीन सेवा की अध्यपेक्षा करने और उपधारा (9घ) के अधीन निर्देश करने की प्रक्रिया—(1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक,--

(i) किसी व्यक्ति या इकाई को, जिसकी सेवा की अध्यपेक्षा धारा 132 की उपधारा (2) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए की जाए ; या

(ii) किसी व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को, जिसे धारा 132 की उपधारा (9घ) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए निर्देश किया जाए,

ऐसे व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या अपर निदेशक या अपर आयुक्त या निदेशक या आयुक्त या प्रधान निदेशक या प्रधान आयुक्त द्वारा किए गए निर्देश पर, या स्व प्रेरणा से, अनुमोदित कर सकेगा ।

(2) धारा 132 की उपधारा (2) और उपधारा (9घ) में यथा निर्दिष्ट, प्राधिकृत अधिकारी, धारा 132 की उपधारा (2) और उपधारा (9घ) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, उपनियम (1) के अधीन अनुमोदित व्यक्तियों में से एक या अधिक की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा या उन्हें निर्देश कर सकेगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 6ग में किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट आवेदन, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है, छह मास के भीतर, अनुमोदन देते हुए या उससे इंकार करते हुए, निपटाया जाएगा ।

(5) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, किसी व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को उपनियम (1) में यथा उपबंधित अनुमोदन प्रदान करने पर, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को अभिहित अनुमोदन संख्या जारी करेगा ।

(6) धारा 132 की उपधारा (2) के खंड (ii) या उपधारा (9घ) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, उस दशा में, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की, जो उपनियम (1) के अनुसार अनुमोदित नहीं है, उसके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा या उसे निर्देश कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा की तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मूल्यांकक अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2—इस नियम के उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, "अभिहित अनुमोदन संख्या" से इस प्रकार जारी अक्षरांकीय वर्णों वाली संख्या अभिप्रेत है ।

13क. धारा 132 की उपधारा (9घ) के अधीन मूल्यांकन—(1) धारा 132 की उपधारा (9घ) के प्रयोजन के लिए, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) किसी स्थावर संपत्ति का मूल्य, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, धारा 132 की उपधारा (9घ) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित तारीख(खों) को, ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में, सन्निर्माण और सुधारों की लागत के साथ, यदि कोई हों, स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य के अनुसार होगा ;

(ii) नियम 11पक में निर्दिष्ट आभूषण, पुरातत्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला, किसी अन्य कलाकृति, शेयर या प्रतिभूतियों का मूल्य, नियम 11पक के उपनियम (1) में उपबंधित रीति में

अवधारित मूल्य होगा और इस प्रयोजन के लिए नियम 11प और नियम 11पक में मूल्यांकन की तारीख का संदर्भ वह तारीख(खें) होगी(होंगी), जिसको धारा 132 की उपधारा (9घ) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार मूल्यांकित किया जाना अपेक्षित है ;

(iii) (क) खंड (i) और खंड (ii) के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों से भिन्न, या

(ख) जहां खंड (i) और खंड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन साध्य नहीं है,

वहां संपत्ति का मूल्य, वह कीमत होगी, जो उस तारीख(खों) को, जिसको धारा 132 की उपधारा (9घ) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार ऐसी संपत्ति को मूल्यांकित किया जाना अपेक्षित है, खुले बाजार में विक्रय पर ऐसी संपत्ति के लिए साधारणतया प्राप्त होती ।

(2) व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जिसे धारा 132 की उपधारा (9घ) के उपबंधों के अधीन मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है, ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप सं. 6गक में मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मूल्यांकक अभिप्रेत है ।'।

3. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 6ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"प्ररूप सं. 6ग

[नियम 13 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(2)/132(9घ) के अधीन आवेदन

<table>
<tr><td rowspan="6">भाग क
वैयक्तिक सूचना</td><td colspan="2">नाम</td><td rowspan="6">प्रास्थिति
(i) व्यष्टिक
(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब
(iii) कंपनी
(iv) फर्म
(v) सहकारी सोसाइटी
(vi) स्थानीय प्राधिकारी
(vii) व्यक्ति संगम/ व्यष्टिक निकाय</td></tr>
<tr><td colspan="2">पैन</td></tr>
<tr><td colspan="2">आधार (यदि लागू हो)</td></tr>
<tr><td colspan="2">पता</td></tr>
<tr><td colspan="2">दूरभाष संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="2">ई-मेल पता</td></tr>
<tr><td rowspan="5">भाग ख
प्रदान की गई सेवाओं के ब्यौरे</td><td>1.</td><td colspan="2">प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति (कृपया टिप्पण 1 देखे) ....</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">सुसंगत अर्हता(ओं) के ब्यौरे (कृपया टिप्पण 1 देखे और सबूत संलग्न करें, यदि लागू हो) ....</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">किसी सरकारी संगठन के साथ विद्यमान रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हो (कृपया आवेदन के साथ सबूत की प्रति भी संलग्न करें) ....</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">अनुभव के ब्यौरे ....</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए सुसंगत कोई अन्य ब्यौरे ....</td></tr>
</table>

सत्यापन

(क) मैं, ……………………………………………, पुत्र/पुत्री/पत्नी ...., यह सत्यापित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।

(ख) मैं और घोषणा करता/करती हूं कि मैं, ……………………………… नामक इकाई के .... [स्वयं/स्वामी/भागीदार/अभिहित भागीदार/निदेशक/किसी अन्य पदनाम] [जो लागू न हो, उसे काट दें] के रूप में यह प्ररूप प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं इस प्ररूप को प्रस्तुत और सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत हूं ।

तारीख ....

स्थान ....

(आवेदक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)

नाम ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पैन (यदि लागू हो) ....

टिप्पण 1--प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति और सुसंगत अर्हता :--

(i) अनुवादक ;

(ii) न्याय संबंधी विश्लेषण या डाटा माइनिंग या डिजिटल डाटा में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति या इकाई या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक ;

(iii) बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ;

(iv) आभूषण का मूल्यांकक, जो आभूषण निर्माताओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुदान, प्रचालन, नवीकरण और रद्दकरण के लिए बीआईएस मार्गदर्शी सिद्धांत 2021 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अनुज्ञप्तिधारी आभूषण निर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(v) स्थावर संपत्ति का मूल्यांकक, जो सिविल इंजीनियरी, वास्तुकला या नगर नियोजन में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या कृषि भूमि अथवा बागान की दशा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए ; और परामर्शी इंजीनियर, भूसंपदा के मूल्यांकक, सर्वेक्षक, वास्तुविद् या कृषि मूल्यांकक के रूप में व्यवसायरत होना चाहिए ;

(vi) वनों का मूल्यांकक, जिसे वन विज्ञान में विशेष ज्ञान होना चाहिए ;

(vii) खानों और खदानों का मूल्यांकक, जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खान में स्नातक होना चाहिए ;

(viii) भागीदारी फर्मों और कारबार आस्तियों के स्टॉकों, शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों में शेयरों का मूल्यांकक, जिसके अंतर्गत गुडविल भी है, जो मर्चेंट बैंकर होना चाहिए ;

(ix) मशीनरी और संयंत्र का मूल्यांकक, जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में स्नातक होना चाहिए ;

(x) पुरातत्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला, किसी अन्य कलाकृति का मूल्यांकक, जिसे कला के विशेष क्षेत्र में उसकी अकादमिक अर्हताओं और वृत्तिक प्रयासों के कारण विशेषीकृत ज्ञान होना चाहिए ;

(xi) जीवन हित, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशा में हित का मूल्यांकक, जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन बीमांकक के रूप में व्यवसायरत होना चाहिए ;

(xii) कोई अन्य व्यक्ति, जो स्थानीय क्षेत्र पर विचार करते हुए आवश्यक हो ।

प्ररूप सं. 6गक

[नियम 13क देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(9घ) के अधीन रिपोर्ट

मैं/हम, [नियम 13(5) के अनुसार जारी] अभिहित अनुमोदन संख्या .... रखते हुए, आदेश ...., तारीख .... द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (9घ) के अधीन किए गए निर्देश के पारिणामिक .... (निर्धारिती का पता) पर यथा अवस्थित .... स्थायी लेखा संख्या (पैन) रखने वाले .... (निर्धारिती का नाम) की संपत्ति .... (मूल्यांकित की जा रही संपत्ति की विनिर्दिष्टियां) के उचित बाजार मूल्य का अवधारण कर चुका हूं/चुके हैं।

मैं/हम, वह सभी सूचना प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी।

1. संपत्ति(यों) के ब्यौरे, जिसके लिए मूल्यांकन किया गया है ....।
2. ऐसे मूल्यांकन की तारीख(खें) ....।
3. संपत्ति के उचित बाजार मूल्य तय करने में प्रयुक्त पद्धति .... [मूल्यांकक को विस्तृत रूप से उन विभिन्न कारकों का वर्णन करना चाहिए, जो मूल्यांकन तय करने में ध्यान में रखे गए हैं]।
4. संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करते समय मुख्य अवधारणाओं के ब्यौरे ....।
5. मूल्यांकित की जा रही संपत्ति का उचित बाजार मूल्य [मूल्यांकक को प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक् मूल्यांकन प्रस्तुत करना चाहिए] ....।

सत्यापन

(क) मैं, ……………………………………………, पुत्र/पुत्री/पत्नी ...., यह सत्यापित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

(ख) मैं और घोषणा करता/करती हूं कि मैं, ……………………………… नामक इकाई के .... [स्वयं/ स्वामी/भागीदार/अभिहित भागीदार/निदेशक/किसी अन्य पदनाम] [जो लागू न हो, उसे काट दें] के रूप में यह प्ररूप प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं इस प्ररूप को प्रस्तुत और सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत हूं।

(ग) मैं/हम यह और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम मूल्यांकित संपत्ति(यों) में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं रखता हूं/रखते हैं और मैंने/हमने उक्त संपत्ति(यों) का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है।

तारीख ....

स्थान ....

(हस्ताक्षर)

नाम ....

पैन ....”

[अधिसूचना सं. 70/2023 फा.सं. 370142/25/2023-टी.पी.एल.]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

टिप्पण- मूल नियम, संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 615 (अ), तारीख 18.8.2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2023

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and sub-section (9D) of section 132 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Income-tax (Ninteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred as the Principal Rules), after rule 12F, the following rule shall be inserted, namely:—

"13. Procedure to requisition services under sub-section (2) and to make a reference under sub-section (9D) of section 132.— (1) Every Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or the Director General, as the case may be, may approve—

(i) any person or entity whose services may be requisitioned for the purposes of clause (ii) of sub-section (2) of section 132; or

(ii) any person or entity or registered valuer to whom reference may be made for the purposes of clause (ii) of sub-section (9D) of section 132,

on the basis of an application made by such person or entity or registered valuer, or on a reference made by Joint Director or Joint Commissioner or Additional Director or Additional Commissioner or Director or Commissioner or Principal Director or Principal Commissioner, or on his own motion.

(2) The authorised officer, as referred to in sub-section (2) or sub-section (9D) of section 132, may requisition the services of or make a reference to one or more of the persons approved under sub-rule (1), for the purposes of clause (ii) of sub-section (2) or sub-section (9D) of section 132.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be made in Form No. 6C.

(4) The application referred to in sub-rule (3) shall be disposed of by the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or the Director General, as the case may be, within six months from the end of the month in which such application is made thereby granting approval or rejecting the same.

(5) The Principal Chief Commissioner or Principal Director General or Chief Commissioner or Director General may, on grant of approval to a person or entity or registered valuer as provided in sub-rule (1), shall issue a Designated Approval Number to such person or entity or registered valuer, as the case may be.

(6) For the purposes of clause (ii) of sub-section (2) or clause (ii) of sub-section (9D) of section 132, in a case where the authorised officer considers it necessary or expedient to do so, he may requisition the services of or make a reference to a person or entity or registered valuer who is not approved as per sub-rule (1), after recording reasons for the same, and within a period of thirty days of such requisition, obtain approval of the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or the Director General, as the case may be.

Explanation 1.- For the purposes of this rule, "registered valuer" means any valuer registered by or under any law for the time being in force.

Explanation 2.- For the purposes of sub-rule (5) of this rule, a "Designated Approval Number" means a number so issued, having alphanumeric characters.

13A. Valuation under sub-section (9D) of section 132.—(1) For the purpose of sub-section (9D) of section 132, the fair market value of the property shall be determined in the following manner, namely:—

(i) the value of an immovable property, being land or building or both, shall be in accordance with the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Central Government or a State Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of such immovable property, along with the cost of construction and improvements, if any, on the date(s) on which such property is required to be valued as per the reference made under sub-section (9D) of section 132;

(ii) the value of jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art, shares or securities referred to in rule 11UA, shall be the value determined in the manner provided in sub-rule (1) of rule 11UA and for this purpose the reference to the valuation date in the rule 11U and rule 11UA shall be the date(s) on which such property is required to be valued as per the reference made under sub-section (9D) of section 132;

(iii) the value of property,

(a) other than those covered in clause (i) and clause (ii), or

(b) where valuation as specified in clause (i) and clause (ii) is not feasible,

shall be the price that such property would ordinarily fetch on sale in the open market on the date(s) on which such property is required to be valued as per the reference made under sub-section (9D) of section 132.

(2) The person or entity or registered valuer, to whom the reference for valuation has been made by the authorised officer under the provisions of sub-section (9D) of section 132 shall submit the report of valuation in Form No. 6CA to such authorised officer.

Explanation.- For the purposes of this rule, "registered valuer" means any valuer registered by or under any law for the time being in force.

3. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, after Form No. 6B, the following Forms shall be inserted, namely:—

"FORM No. 6C

[See rule 13]

Application under section 132(2)/132(9D) of the Income tax Act, 1961

PART-A PERSONAL INFORMATION	Name	Status (i) Individual (ii) HUF (iii) Company (iv) Firm (v) Co-operative Society (vi) Local Authority (vii) AOP/ BOI
	PAN	
	Aadhar (if applicable)	
	Address	
	Phone Number	
	Email Address	

PART-B DETAILS OF SERVICES PROVIDED	1.	Nature of services proposed to be provided…(please see Note 1)……………..
	2.	Details of relevant qualification(s)…(please see Note 1 and attach proof if applicable)………….
	3.	Details of existing registration with any governmental organisation, if any (Also please attach a copy of the proof with this application)………………………..
	4.	Details of Experience…………………
	5.	Any other details relevant for registration as a valuer……………………………..

Verification

(a) I, ……………., son/daughter/wife of ………………..do hereby verify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

(b) I further declare that I am furnishing this form in my capacity as …………[self/proprietor/partner/ designated partner/director/any other designation] of the entity named …..………….. [strike off if not applicable] and I am authorised to furnish and verify this form.

Date……………

Place…………..

(Signature of applicant/authorised signatory)

Name…………………

PAN of authorised signatory (if applicable)………………….

Note 1: Nature of Services proposed to be provided and relevant Qualification:-

(i) a translator;

(ii) a person or entity or registered valuer providing assistance in forensic analysis or data mining of digital data;

(iii) a manager or officer of a banking company or co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);

(iv) a valuer of jewellery who is registered as a Bureau of Indian Standards(BIS) licensed jeweller under the BIS Guidelines for Grant, Operation, Renewal and Cancellation of Certificate of registration of Jewellers, 2021;

(v) a valuer of immovable property who must be a graduate in civil engineering, architecture or town planning from a recognised university, or in case of an agricultural land or plantation, a graduate in agricultural science from a recognised university; and must have been in practice as a consulting engineer, valuer of real estate, surveyor, architect or farm valuer;

(vi) a valuer of forests who must be a person possessing specialized knowledge in forestry;

(vii) a valuer of mines and quarries who must be a graduate in mining from a recognised university;

(viii) a valuer of stocks, shares, debentures, securities, shares in partnership firms and business assets including goodwill, who must be a merchant banker;

(ix) a valuer of machinery and plant who must be a graduate in mechanical or electrical engineering from a recognised university:

(x) a valuer of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, or any work of art, who must have specialised knowledge by virtue of his academic qualifications and professional pursuits in the particular line of art;

(xi) a valuer of life interest, reversions and interest in expectancy who must have been in practice as an actuary under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(xii) any other person, as is necessary having regard to the local area considerations.

FORM No. 6CA

[See rule 13A]

Report under section 132(9D) of the Income Tax Act, 1961

I/We, having Designated Approval Number ____________[issued as per rule 13(5)], have determined the fair market value of ______________________[specifications of the property being valued] belonging to ___________________[name of the assessee] having permanent account number(PAN)_________, as located at ______________________[address of the assessee] in consequence of reference made under sub-section (9D) of section 132 of the Income tax Act, 1961 by the authorised officer vide order _________________ dated _______.

I/We have obtained all the information which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of valuation.

1. Details of the property(ies) for which valuation has been undertaken ……………………..
2. Date(s) of such valuation ………………….
3. Method employed to arrive at the fair market value of the property [The valuer should discuss in detail different factors which have been taken into account in arriving at the valuation] …………
4. Details of major assumptions while determining the fair market value of the property………..
5. Fair market value of the property being valued [the valuer should furnish a separate valuation for each property]…………..

Verification

(a) I, ……………., son/daughter/wife of ………………..do hereby verify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief;

(b) I further declare that I am furnishing this report in my capacity as ………….[self/proprietor/partner/ designated partner/ director/any other designation] of the entity named ……………..[strike off if not applicable] and I am authorised to furnish and verify this report;

(c) I/We further certify that I/We have no direct or indirect interest in the property(ies) valued and I/We have personally inspected the said property(ies);

Date……………

Place…………..

(Signature)

Name.…………………

PAN…………………”

[Notification No. 70/2023 F. No. 370142/25/2023-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub Section (ii) vide number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended vide notification No. G.S.R. 615 (E), dated 18.8.2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.